न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 13/2021

प्रार्थीगण

1 जीवा पुत्र मादा जाति पुरोहित
2 सामा पुत्र मादा जाति पुरोहित
निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना
2 अर्जुनराम पुत्र जोईताजी
3 भीमाराम पुत्र जोईताजी
4 जैसाराम पुत्र गोपाजी
जाति पुरोहित निवासीयान इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश पुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 ता 4

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 29.01.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के वकील उपस्थित, जिन्होनें प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माफिक इस्तदुआ आदेश किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है।

हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। विप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के द्वारा माफिक इस्तदुआ आदेश किये जाने पर कोई अनापति जाहिर नहीं की है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रा.भु.रा की धारा 111 128 स्वीकार किया जाकर दिनांक 25.01.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति मे विवादित खसरा सरहद मौजा नाल पटवार मण्डल गुडानाल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 237 रकबा 04.3630 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन पेश करें। तहरीर हो कर हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावलि किया जावे। पत्रावलि फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:36:15 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

दिनांक : 29.01.2021

क्रमांकः वाद/2021/5667

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

जीवा वगैरा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 13/2021 निर्णय दिनांक :– 29.01.2021

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम......नाल......के खेत खसरा नम्बर...237 रकबा 04.3630 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....सिवाना....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क रूपये 500/–प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

क्रमांकः वाद/2021/5668-72 दिनांक : 29.01.2021

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार ....सिवाना............
2. थानाधिकारी.....सिवाना...............
3. हल्का पटवारी..नाल.................. को मय रेकर्ड ... रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी ......जीवा वगैरा...............
5. विप्रार्थी ..अर्जुनराम वगैरा.....................

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:36:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना